REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2024

सतना जिले में भावी औद्योगिक विकास की नीतियाँ एवं प्रबंधन का अध्ययन

उर्मिला साकेत
शोधार्थी, भूगोल विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. आर.के. शर्मा
प्राचार्य
इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

सतना जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर चूना पत्थर, उपलब्ध हैं। चूना पत्थर के भंडार होने की वजह से इस जिले में सीमेंट उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। इसके अलावा, यहाँ कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी संभावनाएँ हैं। औद्योगिक विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएँ लागू की जा सकती हैं, जैसे–मेक इन इंडिया योजना के तहत स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छोटे और मझोले उद्योगों को स्थापित करने के लिए सब्सिडी, कर में छूट और आसान ऋण व्यवस्था की जा सकती है। सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना और पर्यावरणीय अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। अच्छे परिवहन और लॉजिस्टिक्स सिस्टम का निर्माण औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सतना जिले में रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार कर यहाँ कच्चे माल और उत्पादों की आसान आवाजाही सुनिश्चित की जा सकती है। औद्योगिक इकाइयों के लिए निरंतर बिजली और पानी की आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए सतना जिले में पावर ग्रिड और जल आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। सतना जिले में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की उपलब्धता है। स्थानीय युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक उद्योगों में काम करने के लिए तैयार किया जा सकता है। आईटीआई और तकनीकी संस्थानों का विकास इसमें सहायक हो सकता है। औद्योगिक विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस मॉडल के तहत उद्योगों में निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योगों के लिए आवश्यक सभी अनुमतियों और लाइसेंसों की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जा सकती है, जिससे उद्यमियों का समय बचे और नौकरशाही में फंसे बिना उद्योग स्थापित कर सकें। औद्योगिक विकास के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण भी अहम है। इसलिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर ध्यान देना होगा। ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने वाली योजनाएँ औद्योगिक नीतियों में शामिल की जा सकती हैं। सतना जिले में कृषि और खनन आधारित उद्योगों के साथ–साथ, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, और कपड़ा उद्योग को भी विकसित किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग और विपणन रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन

और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय और साझेदारी बेहद जरूरी है। सतना जिले का औद्योगिक विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ–साथ रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा।

प्रस्तावना –

औद्योगिक विकास किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण आधार होता है। सतना जिला, जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है, अपने प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर चूना पत्थर के भंडार के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में पहले से ही सीमेंट उद्योग प्रमुख है, लेकिन औद्योगिकीकरण की अपार संभावनाएँ यहाँ अब भी मौजूद हैं। सतना जिले का रणनीतिक भौगोलिक स्थान, संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन सुविधाएँ इसे औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

वर्तमान समय में, जब देशभर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है, सतना जैसे जिलों में भी इन पहलों का प्रभावी उपयोग करके औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटे और मझोले उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों, और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के जरिए सतना जिले को औद्योगिक हब के रूप में उभरने का अवसर मिल सकता है।

सतना जिले का यह औद्योगिक विकास अध्ययन, स्थानीय प्रशासन, नीति–निर्माताओं और निवेशकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, जिससे सतना आने वाले समय में मध्य प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके।

विश्लेषण –

देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास के माध्यम से फलने–फूलने लगती है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से गति प्रदान करने वाले तथ्यों में से मुख्य पायदान पर है। आज देश में इस दिशा में प्रमुख रूप से मेड–इन–इंडिया एवं मेक–इन–इंडिया शासकीय अभियान सम्पूर्ण देश में उद्यम के क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करने की दृष्टि से प्रारम्भ किये गये हैं, क्योंकि औद्योगिक संस्थान देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज देश में औद्योगिक इकाईयाँ व्यापारिक क्षेत्र में नूतन प्रयोगों द्वारा उद्यम विकास की अवधारणा को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। देश में उद्योगों/उद्यमों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था से सम्पूर्ण क्षेत्रों में व्यापक रूप में अपने पॉव को फैलाये हुए हैं और साथ ही क्षेत्रीय अनिवार्यताओं के साथ ही वैश्विक बाजार के अनुरूप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन एवं अनेक प्रकार की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति की भरपाई कर रहे हैं।

देश में उद्यम सृजन के क्षेत्र में सर्वसमावेशी विकास के भाव को हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में एक प्रमुख प्राथमिकता है। शासन के इस सतत् प्रयास में यह संकलन देश की प्रथम पायदान पर खड़ी पीढ़ी के उद्यमियों/साहसियों के साथ सम्पुट के रूप में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजातियों, विकलांगों, पूर्व सैनिकों, आश्रितों, निराश्रितों, अधिकारों से वंचित समुदायों के व्यक्तियों एवं घुमक्कड़ सम्प्रदाय के लोगों आदि को उद्यमों की स्थापना करने हेतु सभी लोग उत्प्रेरित हो रहे हैं, जिससे इस सम्प्रदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लक्ष्य को शासन स्तर पर निराकृत करने के सहज प्रयास को सार्थक बनाने में इन उद्यमों की महती भूमिका है और इससे लोगों को लाभार्जन हो रहे हैं तथा इन वर्ग के लोगों का भी जीवन स्तर समुन्नत हो रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार के इस पहल पर सकारात्मक रूख अपनाते हुए राज्य के कुछ प्रमुख नगरों में औद्योगिक कारीडोर स्थापित करने को प्रतिबद्ध हैं। राज्य में उद्यमों के विस्तार व विकास को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय विभाग की ओर से खासतौर पर यह पहल की गयी है कि इन उद्यमों की सहायता से उद्यमियों को सहयोग एवं मदद करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर नवीन नीतियों, रणनीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके पीछे ऐसी धारणा कदापि नहीं है कि मंत्रालय, औद्योगिक इकाईयों के प्रति समर्पित होने की वजह से ही व्यापक स्तर पर नीतियों, रणनीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है, अपितु केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों की ओर से भी इस विचारधारा को हासिल करने हेतु प्रत्येक सम्भव एवं सक्षम सहयोग प्रदान की जा रही है। शासन स्तर पर की जा रही इस नवीन पहल से वर्तमान एवं सम्भाव्य उद्यमी वर्ग लाभान्वित होंगे और अपने उद्यम एवं व्यापार की सम्भावनाओं को निरन्तर विस्तारित करने

की ओर अग्रसर होंगे। इस संबंध में प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन करने से शोधार्थी के भाव से उद्यमों के अर्थ, अवधारणा, महत्व, आवश्यकता, मंत्रालय की योजनाओं और स्वंत्रता के पश्चात् भारत की औद्योगिक नीतियों पर सूक्ष्मता से प्रकाश डालने का सार्थक प्रयास किया गया है।

औद्योगिक इकाईयों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में तथा सम्पूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। औद्योगिक इकाईयों को मजबूत करने के लिए उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया है। उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियाँ बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ–साथ सक्षम भी बनाएं। औद्योगिक विकास विभाग की सहायता से एमएसएमई सतना जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ–साथ सामान्य ग्रामीण लोगों एवं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण प्रौद्योगिकी एवं स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम विकास करता है। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/ग्रामीण अंचल में अपना उद्यम स्थापित कर सके।

सतना जिला में प्रभावी एवं गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं उसके संचालन को सरल और आसान बनाने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2019 के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है, इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सतना जिला/राज्य में लगाने वाले व्यक्तियों को नयी सामग्रियों को विकसित करने, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले तथा विकास को तीव्र गति देने का अवसर उपलब्ध करा रहा है। जिले के युवा वर्ग की पीढ़ी कृषि एवं व्यवसायों से दूर जा रहे हैं, जो दूसरों हेतु रोजगार के मौके प्रदान कर उसे आत्मनिर्भर बनाने में सहायता दे रही है। स्टार्ट–अप–इंडिया, मेक–इन–इंडिया, स्किल इंडिया एवं डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के लक्ष्य एक समान मौके तथा वृद्धि हुई उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर कर रहा है। घरेलू उत्पादन, कम निवेश आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण निर्यात आय, स्थान संबंधी गतिशीलता, परिचालनात्मक लचीलापन, कम गहन आयात, आयात प्रतिस्थापन, प्रौद्योगिकी की दिशा में योगदान, रक्षा उत्पाद, उचित घरेलू तकनीक विकसित करने की अमल, घरेलू उन्मुख उद्योगों में प्रतिस्पर्धा तथा ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करके निर्यात बाजार के मध्यम से नवीन उद्यमियों के निर्माण द्वारा भूमिका अदा कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सतना जिला के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रकार सतना जिले में उद्योगों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जिससे यह ज्ञात हुआ है कि जिला की औद्योगिक इकाईयों ने जहाँ एक ओर मानव जीवन को रोजगार एवं उपभोग की सामग्रियों को उपलब्ध कराकर सुखमय बनाया है, वहीं दूसरी ओर नवीन उद्यमों की स्वायत्ता से पेड़ों की कटाई, कृषि योग्य भूमि की उपयोग एवं उद्यमों से निकलने वाले धुएँ व जल से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, परन्तु वर्तमान दौर में शासन की जागरुकता के कारण इन पर अंकुश लगाया गया है और औद्योगिक इकाइयाँ पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हर सम्भव प्रयास कर रही है, जिसका परिणाम आज यह है कि सतना जिला की औद्योगिक इकाईयों ने जिला को विकसित करने की राह को तीव्र कर दिया है।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ राष्ट्र में जनप्रिय सरकार की स्थापना होने पर व्यक्तियों में एक नई विश्वास तथा आशा की लहर आया, लेकिन उस समयावधि विरासत में मिली औद्योगिक संरचना काफी अस्त–व्यस्त था। स्फीतिकारी प्रवृत्तियां, विदेशियों के माध्यम से पूंजी समेटने विभाजन/बटवारे की वजह से कच्चे माल की कमी, पूंजी का अभाव, मजदूरों एवं मालिकों के झगड़े इत्यादि की वजह से देश औद्योगिक संकट से जूझ रहा था। अतएव भारत सरकार द्वारा परिस्थिति सुधारने के ध्येय से दिसम्बर 1947 में तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाया, जिनमें औद्योगिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्रता होने के बाद देश में अब तक 6 औद्योगिक नीतियों का घोषणा हो चुका है। देश की औद्योगिक नीति का ध्येय देश के निर्माण उद्योग का विकास करना और उसे एक उत्तम दिशा

प्रदान करना होता है। औद्योगिक नीति का आशय सरकार के उन आदेशों और घोषणाओं से है जनमें उद्योगों हेतु अपनाये जाने वाले नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार के माध्यम से निर्मित की गयी औद्योगिक नीति से राष्ट्र के औद्योगिक विकास के निम्नांकित तथ्यों का पता चलता है, जो इस प्रकार है–

- औद्योगिक विकास की कार्य योजना और कार्य योजना की रणनीति क्या होगा?
- औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगा?
- औद्योगिक विकास में विदेशी उद्यमियों और विदेशी पूंजी निवेश की दिशा क्या होगा?

सन् 1947 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् से अब तक राष्ट्र छः बार औद्योगिक नीति की घोषणा कर चुका है, जो इस प्रकार है–

- औद्योगिक नीति, 1948
- औद्योगिक नीति, 1956
- औद्योगिक नीति, 1977
- औद्योगिक नीति, 1980
- औद्योगिक नीति, 1990
- औद्योगिक नीति, 1991

- **औद्योगिक नीति 1948 :** औद्योगिक नीति राष्ट्र स्वतंत्र होने के बाद 1948 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माध्यम से किया गया। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व प्रदान करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्वीकार करने पर जोर दिया गया। लघु और कुटीर उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया और सरकारी नियंत्रण के अधीनस्थ 18 उद्योगों को रखा गया।

- **औद्योगिक नीति 1956 :** केन्द्र सरकार 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा किया और उद्योगों पर जोर दिया, इसके लिए इस औद्योगिक नीति को समाजवादी औद्योगिक भी कहा जाता है। 1956 की औद्योगिक नीति की समीक्षा के लिए 1966 में आर.के. हजारी सीमित का गठन किया गया। इस समिति द्वारा सिफारिश किया कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदन के क्रम में दिया जाए। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की चार श्रेणियां सुनिश्चित किया गया था, जिसे 1956 की नीति में कम करके 3 कर दिया गया। उद्योगों का विकास पिछड़े क्षेत्रों का विकास पूंजी की प्रधानता पर अत्यधिक जोर दिया गया, तथा रोजगार को गौण बना दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए 1951 में औद्योगिक विकास अधिनियम को पारित किया गया एवं 8 मई 1952 से इसे लागू किया गया।

- **औद्योगिक नीति 1977 :** 23 दिसम्बर 1977 को जनता सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जॉर्ज फर्नाण्डीज ने नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा किया। नवीन नीति की आवश्यकता इसलिए थी कि 1956 की औद्योगिक नीति की सफलता संतोषजनक कदापि नहीं था। क्योंकि विगत 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय में तकरीबन 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई और यह वृद्धि अपर्याप्त थी, राष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गयी थी, ग्रामीण अंचल और शहरों के मध्य असमानताएं बढ़ गयी थी तथा निवेश दर में स्थिरता आ गयी थी। देश में बीमार उद्योगों की समस्या जटिल हो गयी थी, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो गया था तथा व्यापक औद्योगिक केन्द्रों में उद्योगों का जमाव हो गया था। अतः 1977 की औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया यद्यपि इस नीति में लघु उद्यमों को अधिक महत्व दिया गया, लेकिन व्यापक स्तर के उद्यमों की भूमिका को सुस्पष्ट किया गया।

- **औद्योगिक नीत 1980 :** 23 जुलाई 1980 कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने के कुछ महीने के बाद ही नवीन औद्योगिक नीत की घोषणा किया गया। नवीन नीति प्रस्ताव मूलतः 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अधीनस्थ ही निर्मित किया गया। नवीन नीति प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया कि 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव हमारे देश की प्रमुख व्यवस्था को प्रतिबिम्बित करता है तथा 1956 के प्रस्ताव और नीत ने यह निर्णायक तौर से यह साबित कर दिया है कि भारत देश की व्यवस्था में रचनात्मक लोच विद्यमान है और यह जनमानस हेतु भी उपयोगी साबित हुआ। इस औद्योगिक नीति का प्रमुख ध्येय है कि उद्योगों की संस्थापित क्षमता का

अनुकूलतम उपयोग, राष्ट्र में उत्पादन को सर्वाधिक करना और उच्चतर उत्पादकता को हासिल करना सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए भू–भागों/क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करते हुए प्रादेशिक असन्तुलन का विवरण करना, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उच्च मूल्यों के संदर्भ में उपभोक्ताओं को संरक्षण उपलब्ध करता है और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए राष्ट्र के कृषि आधार को अत्यधिक मजबूत बनाना एवं अर्न्तक्षेत्रीय संबंधों की प्रक्रियाओं में संवर्धन करना।

- **औद्योगिक नीति 1991 :** जून 1991 में नरसिंह राव सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का नवीन दिशा प्रदान किया गया। नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता यह है कि सिर्फ 6 उद्योगों लाइसेंस योजना के अन्तर्गत रखा गया था। निजी क्षेत्र हेतु प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका मात्र 4 उद्योगों तक ही सीमित था और शेष सम्पूर्ण उद्योगों को भी नजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया था। इसी प्रकार नीति के अन्तर्गत विदेशी निवेश को प्राथमिकता दिया गया है, परन्तु नवीन औद्योगिक नीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि यह भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की परम्परा को खत्म/समाप्त कर दिया, औद्योगिक लाइसेंसिंग लालफीताशाही का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापक स्तर पर बदलावों की वजह से 1991 की औद्योगिक नीति अथवा नवीन औद्योगिक नीति 1956 की प्रारम्भिक नीति से एक व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। 1991 की औद्योगिक नीति में पश्चात् के दौर में राष्ट्र में दिये गये निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण अभियान की जड़ समाहित था। नीति द्वारा औद्योगिक विनिमय के निम्नांकित पहलुओं में परिवर्तन किया गया –
  - विदेशी निवेश नीति तथा विदेशी प्रौद्योगिकी नीति।
  - औद्योगिक लाइसेंस रद्द करना।
  - एमआरटीपी एक्ट को खत्म करना।
  - औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन।
  - सार्वजनिक क्षेत्र की नीति (पीएसई का आरक्षण एवं सुधार)।
- **औद्योगिक नीति 1990 :** कांग्रेस सरकार के पतन के बाद जनता पार्टी के शासन काल आने पर 30 मार्च 1990 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री अजीत सिंह द्वारा लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित किया और औद्योगिक अनुमोदनों के लिए प्रक्रियाओं में बदलाव करने वाली औद्योगिक नीति की घोषणा किया। लघु उद्योगों को विशेष बढ़ावा, कृषि पर निर्धारित उद्योगों को विशेष महत्व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना, निर्यात अभिमुखी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर जोर, प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र विकास के लिए विशिष्ट प्रयास, सामाजिक न्याय प्राप्ति पर विशिष्ट ध्यान और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए विशेष प्रयास इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस नीति को बनायी गयी है।

• भावी औद्योगिक विकास की नीतियाँ व प्रबन्धन –

औद्योगिक इकाईयों के विकास के लिए यह क्षेत्र राष्ट्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रोजगार निर्माण एवं आर्थिक व सामाजिक विकास में एम.एस.एम.ई. की महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान रखते हुए और इस आकड़े से भली–भांति अवगत होते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा इस क्षेत्र विशेष अध्ययन केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया है, अतएव इस ध्येय को पूर्ण करने के दृष्टि से एक समर्पित विभाग औद्योगिक इकाईयों हेतु निर्मित की गयी है। एमएसएमई विभाग प्रदेश की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने में अहम योगदान अदा कर रहा है। एमएसएमई विभाग अपनी स्थापना के पश्चात् से भिन्न–भिन्न आयामों द्वारा औद्योगिक इकाईयों के विकास हेतु अनुकूल वातावरण मुहैया करा रहा है। एमएसएमई विभाग प्रदेश में उद्योगों की स्थापना से लेकर उनके विकास हेतु एक सहायक एवं उद्योग वातावरण निर्मित करने के लिए चतुर्दिक प्रयास करने के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग क्षेत्र हेतु अत्यधिक लाभार्जन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विभाग द्वारा नीतिगत पहल से अनेक ठोस कदम उठाये गये हैं। व्यापार करने की सरलता में सुधार लाने हेतु राज्य सरकार के माध्यम उन्नतिशील कदम उठायी गयी

है। स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य ने अपनी इंक्यूवेशन और स्टार्टअप नीति लागू किया है।

राज्य सरकार रोजगार निर्माण एवं उद्यमिता हेतु सफल माहौल उपलब्ध कराकर स्वरोजगार एवं उद्यमी हितग्राहियों को सहयोग दे रही है। एमएसएमई विभाग रोजगार निर्माण तथा संवर्धन हेतु भिन्न–भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। जिसके अन्तर्गत ब्याज अनुदान और पूंजी निवेश पर मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा की गयी पहल हेतु विभाग प्रतिबद्ध है तथा यह भरोसा दिलाता है कि वह राज्य में जीवंत उद्योगों के विकास की प्रक्रिया में सहभागी है। इस प्रतिबद्धता के साथ विभाग द्वारा एक समर्पित मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 को लागू की गयी है। इस नवीन नीति 2021 को लागू करने का उद्देश्य सम्पूर्ण औद्योगिक विकास तथा उद्योग प्रतिस्पर्धा को पाने में अपनी सकारात्मक भूमिका को अदा कर रहा है, जिससे राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिले। यह नीति आधारभूत संरचना को सूक्ष्म बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस नीति को लागू करने से औद्योगिक इकाईयों के उद्यमियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, राज्य में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो रही है। युवाओं को आगे बढ़ने के मौके प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक आय भी सुदृढ़ हो रही है।

संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी में निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित एमएसएमई नवीन नीति अपनाने के पश्चात् उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया। औद्योगिक इकाईयों की नवीन नीति समग्र रूप से ऑनलाइन होने के साथ ही निःशुल्क एवं सर्वसुलभ बनाया गया है। इसमें किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है तथा उद्योगों के प्रारम्भिक दशा के एक कदम और बढ़ाते हुए इसकी नीतियों को सभी वर्ग के लोगों को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसुलभ बनाया गया है। एमएसएमई नवीन नीति के दौरान नवीन उद्यम स्थल की स्थापना हेतु स्वीकार की गयी अधिकतम उद्यम लागत को विनिर्माण क्षेत्र हेतु 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये की गयी है। नवीन नीति में परिधान क्षेत्र में निवेशकों हेतु कई रियायतों के साथ सुविधाएं देने का प्रावधान की गयी है।

नई रेडीमेड गारमेंट और मेडअप्स को बनाने वाले उद्यम, जिनमें यंत्र–संयंत्र में 10 करोड़ रूपये से अत्यधिक का निवेश किया गया हो, को भी सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रकार एमएसएमई से संबंधित कुछ प्रमुख नीतियां बिन्दुवार इस प्रकार है–

- जो औद्योगिक इकाईयाँ सफल है, परन्तु कोविड–19 की वजह से त्रस्त व्यक्तियों के व्यवसाय विस्तार हेतु 10 हजार करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड द्वारा सहयोग प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- इस नीति द्वारा तीन लाख करोड़ रुपये तक के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बगैर गारंटी के उपलब्ध कराया जायेगा।
- इनमें किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई गारन्टी कदापि नहीं देना होगा। इस ऋण को अदा करने की अवधि सीमा 4 वर्ष का होगा तथा मूलधन चुकाने हेतु 12 माह का अतिरिक्त अवधि प्रदान किया जायेगा। प्रथम 1 वर्ष में मूलधन अदा नहीं करना होगा।
- जो औद्योगिक इकाईयाँ बेहतर व्यवसाय कर रही है तथा और अधिक विस्तार करना चाहती है, परन्तु विस्तार हेतु पर्याप्त पूंजी नहीं है, उनके हेतु फंड ऑफ फंड्स निर्मित किया जा रहा है। इससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी आयेगा।
- इसका लाभ सौ करोड़ तक के टर्नओवर एवं 25 हजार रूपये तक के बकाया वाली बॉरोअर्स यूनिट ले सकेगा।
- इस आर्थिक पैकेज से 45 लाख औद्योगिक संस्थानों को लाभ प्राप्त होगा।
- तनाव ग्रसित औद्योगिक संस्थाओं के उद्यमियों को बैंकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जो कि एमएसएमई में ही इक्विटी के रूप में निवेश कर दिया जायेगा।
- ऐसे उद्यमी जो औद्योगिक इकाईयों के विस्तार करना चाहते हैं, उन्हें 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जायेगा।
- औद्योगिक इकाईयों में निवेश हेतु 200 करोड़ से कम के ग्लोबल टेंडर नहीं होगा।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शासन स्तर पर औद्योगिक इकाईयों की नवीन नीति का क्रियान्वयन कर सतना जिला में इन उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है और नित्य नये उद्यमी/साहसी इस क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी आजीविका को सुधारने के साथ–साथ जिला के आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी को भी कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं जिससे जिला की अर्थव्यवस्था का सतत् रूप में विकास सम्भव हो रहा है।

संदर्भ –

1. कुलश्रेष्ठ, डा. आर.एस. – औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, संस्करण 2012
2. ममोरिया, डा. चतुर्भुज – भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण 2012
3. सिन्हा, डॉ. बी.सी. – आर्थिक विचारों का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, संस्करण 2007
4. सुधा, जी.एस. – व्यावसायिक प्रबंधक के सिद्धान्त एवं उद्यमिता, रमेश बुक डिपो, जयपुर, संस्करण 2007
5. शुक्ल, प्रो. त्रिभुवननाथ – उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2015
6. डेमी, एन. राबर्टसन – उद्योग का नियंत्रण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, संस्करण 1989
7. बघेल, डॉ. डी.एस. – सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन, आगरा, संस्करण 2012
8. कुम्हार, प्रमिला – औद्योगिक भूगोल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2005